प्रेस- नोट

दिनांक -09.05.2026

जनपद गोण्डा।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना कोतवाली नगर में की गयी जनसुनवाई, जनता की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश-

गोण्डा। आज दिनांक 09.05.2026 को थाना समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा थाना कोतवाली नगर में जनसुनवाई की गयी। महोदय द्वारा जनता की जनसमस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के त्वरित एवं गुणवक्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। थाना धानेपुर में जनसुनवाई के दौरान 03 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए है। प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर भेजा गया है। इसी प्रकार समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने अपने थानों पर समाधान दिवस पर आने वाले फरियादियों की शिकायतों को सुनकर उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण कराया गया।

इस दौरान राजस्व एवं पुलिस के अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 09.05.2026, थाना को0देहात
जनपद गोण्डा।

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा मोबाइल फोन झपटमारी करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 मोबाइल फोन(झपटमारी का) व 01 अदद अवैध तमंचा मय कारतूस बरामदः-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-376/2026, धारा 304(2) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आया आरोपी अभियुक्तगण- 01. अल्लारक्खा पुत्र खियालू, 02. दद्दू पुत्र कमालू को सालपुर से मोतीगंज की ओर जाने वाली नहर वाली रोड़ से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद मोबाइल फोन(झपटमारी का) व 01 अदद अवैध तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 06.05.2026 को वादी बादशाह उर्फ अयान पुत्र मो0 लईक ग्राम रामापुर दीनपुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 देहात को सूचना दी गई कि वह अपने ननिहाल धानेपुर से गोण्डा आटो से जा रहा था कि सुनवरसा चौराहे के पास पल्सर पर सवार 02 व्यक्तियों द्वारा झपट्टा मारते हुए उनका मोबाइल फोन लेकर भाग गये। वादी के लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । आज दिनांक 09.05.2026 को थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्तो- 01. अल्लारक्खा पुत्र खियालू, 02. दद्दू पुत्र कमालू को सालपुर से मोतीगंज की ओर जाने वाली नहर रोड़ से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद मोबाइल फोन(झपटमारी का) व 01 अदद अवैध तमंचा मय 01 अदद कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तारी व अवैध तमंचा मय कारतूस बरामदगी के आधार आर्मस एक्ट तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. अल्लारक्खा पुत्र खियालू निवासी ग्राम टिकरिया थाना कोतवाली देहात जनपद-गोण्डा उम्र 23 वर्ष।
02. दद्दू पुत्र कमालू निवासी ग्राम टिकरिया थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा उम्र 27 वर्ष।

अनावरित अभियोगः-

01. मु0अ0सं0-376/2026, धारा 304(2), 317(2) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-389/2026, धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद मोबाइल फोन एन्ड्राएड(झपटमारी का)
02. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 सौरभ कुमार
02. हे0का0 विनोद कुमार सिंह
03. हे0का0 वीरेन्द्र चौधरी
04. का0 सर्वेश कुमार
05. का0 कलीम अली जैदी

मीडिया सेल, गोण्डा।

जनपद गोण्डा।

थाना धानपुर पुलिस द्वारा गैर-इरादतन हत्या करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-158/26 धारा 105 बीएनएस से सम्बन्धित नामजद आरोपी अभियुक्त विराट तिवारी पुत्र सत्यनरायन तिवारी निवासी पृथ्वीपालगंज ग्रिन्ट मजरा महतौडीह थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अदद लकड़ी के डण्डे बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.05.2026 को सत्यनरायन तिवारी पुत्र शिवप्रसाद तिवारी निवासी पृथ्वीपाल गंज ग्रिन्ट मजरा महतौडीह थाना धानेपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना धानेपुर पर लिखित तहरीर दी गई कि वह दिनांक 09.05.2026 को सुबह 08.30 बजे अपने घर के पीछे स्थित शौचालय गया था जहाँ उसका बड़ा पुत्र (सुमित तिवारी जो मानसिक रूप से विक्षिप्त एवं दिव्यांग है) खून से लथपथ मृत्यु अवस्था में था मौके पर उसका दूसरा पुत्र विराट तिवारी भी बगल में लेटा था जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नही है जिसका इलाज चल रहा है। वह अक्सर लोगो व मेरे उपर भी ईंट पत्थर फेंककर मारपीट करता रहता है। मेरा पुत्र विराट पूछने पर बता रहा है कि उसने ही अपने बड़े भाई सुमित तिवारी के सिर पर मारा है जिससे गम्भीर चोट लगने से मृत्यु हो गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धानेपुर में नामजद अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।
आज दिनांक 09.05.2026 को धानेपुर पुलिस द्वारा नामजद आरोपी अभियुक्त - विराट तिवारी पुत्र सत्यनरायन तिवारी निवासी पृथ्वीपालगंज ग्रिन्ट मजरा महतौडीह थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर मौके से घटना में प्रयुक्त 02 अदद लकड़ी के डण्डे बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विराट तिवारी पुत्र सत्यनरायन तिवारी निवासी पृथ्वीपालगंज ग्रिन्ट मजरा महतौडीह थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 158/26 धारा 105 बीएनएस थाना धानेपुर जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 गजेन्द्र पाण्डेय
02. हे0का0 मनीष दूबे

मीडिया सेल, गोण्डा।